इकाई 11 जेंडर आधारित हिंसा

इकाई की रूपरेखा

11.1 प्रस्तावना
11 2 उद्देश्य
11.3 जेंडर आधारित हिंसा क्या है?
11.4 जेंडर आधारित हिंसा की श्रेणियां
11.5 जेंडर आधारित हिंसा के रुप तथा स्तर
11.6 भारत में जेंडर आधारित हिंसा के कुछ प्रमुख प्रकारों का विस्तृत अध्ययन
11.6.1 यौन अपराधः कार्य स्थल पर बलात्कार, छेड़खानी और यौन उत्पीड़न
11.6.2 दहेज के कारण मृत्यु एवं उत्पीड़न
11.6.3 घरेलू हिंसा
11.6.4 मानव तस्करी
11.6.5 तेजाब (एसिड़) फेंकना
11.6.6 सम्मान के कारण अपराध
11.6.7 कन्या होने के कारण गर्भपात
11.7 सीमान्तीकरण (हाशिए पर धकेलना) तथा बढ़ती असुरक्षा
11.8 सारांश
11.9 शब्दावली
11.10 अभ्यास के लिए प्रश्न
11.11 सन्दर्भ एवं अनुशंसित पुस्तकें

11.1 प्रस्तावना

जेंडर आधारित हिंसा (जी.बी.वी.) शायद विश्व भर में सर्वाधिक फैली हुई तथा समाज में सहनीय हिंसा का एक रुप है। भारत में यह व्यापक स्तर पर है और एक गंभीर चुनौती है जिसका संबंध पितृसत्तात्मकता तथा इसकी मूलभूत विश्वास से है कि पुरुषों को विशेषाधिकार तथा शक्ति होती है कि वे स्त्रियों के साथ हिंसा करें। महिलाओं की अधीनता की स्थिति की जड़ में यही है और यह पितृसत्तात्मकताा तथा पुरुषत्व की अवधारणा इन दोनों ही कारणों से जुड़ा है। पुरुषत्व की अवधारणा में माना जाता है कि वास्तव में पुरुष वह है जो महिलाओं के साथ हिंसा करें। जी.बी.वी. महिलाओं को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों तथा उनके मानवाधिकारों का उपयोग करने में सबसे बड़ी बाधा है।

11.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगेः

- जेंडर आधारित हिंसा की अवधारणा;
- जेंडर आधारित हिंसा के रुप और भारत तथा अन्य देशों में उनके विस्तृत रुप;
- इस प्रकार की हिंसा के कारणों तथा उसके परिणामों को समझना

- इस प्रकार की हिंसा के समाधान तथा उसके विरोध के विभिन्न उपायों जैसे कानून एवं सामाजिक तरीके से निपटने पर चर्चा करना।

11.3 जेंडर आधारित हिंसा क्या है?

जेंडर आधार हिंसा (जी.बी.वी.) पद का प्रयोग उस हिंसा को समझने के लिए किया जाता है जो किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह को उनके जेंडर (लिंग) के आधार पर चिन्हित करके किया जाता है। इसमें उस प्रकार के कार्य शामिल हैं जिसके परिणाम स्वरुप शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक क्षति होती है या हो सकती है। इस प्रकार के कार्यों की धमकी देना, बल प्रयोग तथा स्वच्छंदता को मनमानी तरीके से रोकना भी लिंगाधारित हिंसा के रुप हैं। इस प्रकार की लिंगाधारित या जेंडर आधारित हिंसा परिवार में भी हो सकती है, शांति के समय में या संघर्ष के दौरान समुदाय में भी हो सकती है। यह परिवार के सदस्यों द्वारा, परिचितों, अजनबियों अथवा निजी सहभागियों द्वारा किया जा सकता है सदस्यों में उसका पति भी शामिल हो सकता है।

यद्यपि हिंसा पुरुष, स्त्री या बच्चा सभी के लिए पीड़ा दायक अनुभव है किन्तु लिंगाधारित हिंसा मुख्यतः पुरुषों द्वारा स्त्रियों और लड़कियों पर उनके जेंडर के आधार पर निहित कारणों से की जाती है। यह महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा, यौनिकता, प्रजनन क्षमता तथा अपने शरीर पर उनके नियंत्रण के आधार (स्वायत्तता) को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त यह महिलाओं के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को पूर्णतः प्रभावित करता है। स्त्रियों और पुरुषों के बीच शक्ति की असमानता के कारण होने वाली लिंगाधारित हिंसा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा संरचनागत असमानताओं के कारण और बढ़ जाती है।

जेंडर आधारित (लिंगाधारित हिंसा (जी.बी.वी.) तथा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा (वी.ए.डब्ल्यू) के बीच थोड़ा सा अन्तर है। यद्यपि दोनों पदों के प्रायः सम्मिश्रित कर दिया जाता है और एक–दूसरे के स्थान पर उसका प्रयोग किया जाता है। महिलाओं के विरुद्ध (वी.ए.डब्ल्यू) में महिलाओं तथा लड़कियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की जेंडर आधारित हिंसा (जी.बी.वी) के किसी भी कार्य को शामिल किया जाता है किन्तु जेंडर आधारित हिंसा में, हिंसा के जेंडर आयामों को अपराधकर्मी तथा पीड़ित दोनों ही परिप्रेक्ष्यों में देख जाता है। इसलिए जी.बी.वी. पद अधिक व्यापक तथा ज्यादा समावेशी है।

जेंडर आधारित हिंसा स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच असमानता को दिखाती है और पुष्ट करती है तथा पीड़ितों के स्वास्थ्य, गरिमा, सुरक्षा तथा स्वायत्तता से समझौता करता है। (UNDPA % 'Ending widespread violence Against Women' http://www.unfpa.org/gender/violence.htm. 2 फरवरी 2014 को देखा गया)। इसमें मानवाधिकार उल्लंघन की व्यापक परिधि को भी शामिल किया गया है। जेंडर आधारित हिंसा में अधिकांश महिलाएं एवं लड़कियां ही शिकार होती हैं किन्तु सिर्फ़ वही इसका शिकार नहीं होती कभी–कभी पुरुष और लड़के भी इस प्रकार की जेंडर आधारित हिंसा के शिकार होते हैं किन्तु ऐसा कितने लोगों के साथ होता है इसके बारे में स्पष्ट रुप से जानकारी नहीं है। समलैंगिक स्त्रियों (lesbians), समलैंगिक पुरुषों (Gay), द्विलिंगी (bi sexuals) व्यक्तियों तथा किन्नरों (trans gender) लोगों के विरुद्ध हिंसा इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार जेंडर आधारित हिंसा यौनिकता (यौन सम्बन्ध) के सन्दर्भ में मुख्यधारा तथा वैकल्पिक प्रयोग समझ और उनके यौन संबंधों के परिणामस्वरुप होने वाले तनावों के कारण होती है।

अब निम्नलिखित अनुभागों में जेंडर आधारित हिंसा की श्रेणियों के बारे में जानते हैं।

11.4 जेंडर आधारित हिंसा की श्रेणियां

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष रिपोर्ट (1994) में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को परिवार के भीतर हिंसा, समुदाय में हिंसा तथा राज्य (शासन) के द्वारा की गई या उसकी अनदेखी से हुई हिंसा। मोटे तौर पर, भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के इन रुपों को इस प्रकार से अलग–अलग किया जा सकता है।

क) **परिवार में हुई हिंसा :** जैसे घरेलू हिंसा, घर के भीतर बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार, दहेज के कारणों से हुई हिंसा, बलात्कार तथा परिवार के सदस्यों द्वारा कौटुम्बिक बलात्कार, सम्मान की रक्षा के कारण अपराध , लिंग सापेक्ष गर्भपात (लड़की होने की जानकारी के कारण गर्भपात) तथा कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के यौनांग छेदन तथा ऐसी दूसरी प्रथाएं जो समलैंगिक स्त्रियों, द्विलिंगी (समलैंगिक तथा विषम लैंगिक दोनो ही प्रकार के यौन संबंध बनाने वाले) तथा किन्नर लोगों के सन्दर्भ में अपनाई जाती हैं और यौनेच्छता तथा प्रजनन के अधिकारों के उल्लंघन को शामिल किया जाता है।

ख) **समुदाय में हुई हिंसा :** कार्य स्थल तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न, तेजाब फेंकना, डायन करार देकर पीड़ित करना, सती प्रथा, सम्मान की रक्षा के नाम पर अपराध, महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी (अवैध व्यापार), बलपूर्वक वेश्यावृत्ति कराना, विकलांग स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा, साम्प्रदायिक हिंसा तथा आदिवासी और दलित स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा इसमें शामिल हैं।

ग) **सत्ता के अभिकर्ताओं द्वारा की गई या उनकी अनदेखी से हुई हिंसाः** इसमें कस्टडी में हुए बलात्कार, उत्पीड़न तथा हत्या, युद्ध की स्थितियों में जेंडर आधारित हिंसा शामिल है। इसके अतिरिक्त प्रवासी महिला कर्मियों, शरणार्थियों, और देश मे विस्थापित लोगों के विरुद्ध हिंसा तथा सांम्प्रदायिक हिंसा और व्यापक स्तर पर होने वाले अन्य अपराध।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की श्रेणियों का निर्धारण ऐसा नहीं है कि उसमें कोई लक्ष्मण रेखा बनी हो अपितु, किसी प्रकार की हिंसा को एक से अधिक श्रेणियों में रखा जा सकता है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की ये श्रेणियां भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तथा वे महिलाओं के मानवाधिकारों को रोकने या उन्हें अधीन बनाने का पूरे प्रयास करती हैं।

11.5 जेंडर आधारित हिंसा के रुप तथा स्तर

जेंडर आधारित हिंसा पर लम्बे समय से चुप्पी और सहिष्णुता की संस्कृति ने परदा ढका है। इसके सन्दर्भ में सही आंकड़े खोज पाना कठिन है क्योंकि इस प्रकार की हिंसा के बारे में लांछन, शर्म तथा प्रतिशोध न लिया जाय इस भय से रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई जाती।

भारत में जेंडर आधारित हिंसा का स्तर कितना है इसका आधार भारत सरकार के राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) से प्राप्त आंकड़े हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि महिलाओं के विरुद्ध हुए गंभीर अपराधों में जो मामले दर्ज हैं उनमें सब से बड़ा हिस्सा (36 प्रतिशत) घरेलू हिंसा (पति तथा संबंधियों की क्रूरता 'भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए) के अन्तर्गत दर्ज मामलों का है। इसके बाद दूसरे स्थान पर (24 प्रतिशत) 'महिलाओं की मर्यादा का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति की गई प्रताड़ना है। सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट भी बताती है कि महिलाओं की मर्यादा के उल्लंघन

(शीलभंग) से जुड़े अपराधों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है जबकि बलात्कार तथा अपहरण और महिलाओं की मर्यादा भंग करने की प्रवृति के कारण प्रताड़ना के मामलों में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। आंकड़ों से पता चलता हे कि युवतियों पर यह अपराध बढ़ा है। 2014 में जितनी महिलाएं इससे पीड़ित हुई उनमें 44 प्रतिशत महिलाएं 18 से 30 वर्ष की थीं जबकि पीड़ित महिलाओं में से उम्र छः वर्ष से कम की थी। 2014 में इस सन्दर्भ में दर्ज हुए आंकड़े इस प्रकार हैं:

तलिका 15.1 : भारत में महिलाओं के विरुद्ध प्रमुख अपराध : 2014

बलात्कार	36735
बलात्कार करने का प्रयास	4234
महिलाओं का व्यपहरण एवं अपहरण	57311
दहेज के कारण हुई मृत्यु (हत्याएं)	8455
महिलाओं की मर्यादा भंग करने की प्रवृति से हुई प्रताड़ना	8235

स्त्रोत : भारत में अपराध 2014; भारतीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

आगे जिन बातों पर चर्चा करेंगे उस पर जाने से पहले आप समझिए कि इस इकाई में अब तक आपने क्या समझा है।

अपनी प्रगति को जाँचिए

1) जेंडर आधारित हिंसा अन्य प्रकार की हिंसा से किस प्रकार भिन्न है?

....

....

....

....

....

2) जेंडर आधारित हिंसा का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है?

....

....

....

....

....

3) जेंडर आधारित हिंसा क्यों होती है?

....

....

....

....

....

4) जेंडर आधारित हिंसा के कुछ रुपों का उल्लेख कीजिए।

....

....

....

....

....

11.6 भारत में जेंडर आधारित हिंसा के कुछ प्रमुख प्रकारों का विस्तृत अध्ययन

इस अनुभाग में हम जेंडर आधारित हिंसा के कुछ प्रमुख प्रकारों का अध्ययन करेंगे।

11.6.1 यौन अपराधः कार्य स्थाल पर बलात्कार, छेड़खानी और यौन उत्पीड़न

ऐतिहासिक रुप से महिलाओं को शुचिता, कौमार्य, शील तथा सम्मान (इज्जत) का संग्राहक माना जाता है। महिलाओं पर यौन हिंसा सहित कई तरीकों से पितृसत्तात्मक नियंत्रण जगाया जाता रहा है और उसे परिवार/समुदाय की इज्जत के नाम पर उचित ठहराया जाता रहा है। इस अवधारणा के कारण महिलाओं के शरीर पर यौन हिंसा से लेकर महिलाओं को शर्मिंदा करने और उनको अपने अधीन बनाने को उचित ठहराया गया। इसी तरह इसने महिलाओं की स्वतंत्रता, चुनाव के लिए नियम बनाने तथा उन पर ड्रेस कोड (पहनावे तय करना) लागू करने को भी उचित ठहराया गया।

यौन हिंसा तथा बलात्कार ऐसे उपकरण हैं जिसके द्वारा शक्ति का प्रयोग समाज में असमानता की स्थिति बनाने के लिए किया जाता है जिससे महिलाओं पर पुरुषों का नियंत्रण हो। यह विचारधारा परिवार, समुदाय तथा राज्य (शासन) की संरचना बनाती है। इसके साथ जातिवाद तथा साम्प्रदायिकता जोड़कर एक समुदाय के अधीन दूसरे समुदाय को रखने का कार्य किया जाता है। यद्यपि बलात्कार तथा अन्य प्रकार की यौन हिंसा निरंकुश होकर और बढ़ गई है किन्तु इस मुदद्दे पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तब चर्चा हुई जब चलती हुई बस में दिसम्बर 2012 में एक युवती के साथ बर्बरतापूर्वक सामूहिक बलात्कार कर उसकी हत्या की गई। इसके परिणाम स्वरुप बलात्कार तथा अन्य यौन अपराधों के लिए कानूनों में सुधार किए गए।

11.6.2 दहेज के कारण मृत्यु एवं उत्पीड़न

इस बात को साबित करने के लिए आंकड़ों की आवश्यकता नहीं है कि दहेज के कारण युवतियों की हत्या, आत्महत्या के मामले तेजी से लगातार बढ़ रहे हैं जो चिंता की बात है। इस का कारण यह है कि इन में होने वाली बहुत सी मौतें तथा उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज नही कराई जाती या उन्हें दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के भ्रामक प्रावधानों में दर्ज कर दिया जाता है। दहेज उत्पीड़न के कारण हत्या का एक मामला अक्टूबर 2012 में आया जिसने देश भर को झकझोर दिया वह था 25 वर्षीय टेक्नोलॉजी स्नातक प्रवर्तिका गुप्ता का मामला उसके बेडरुम में उसे तथा उसके 13 महीने के बच्चे को जला दिया गया था। युवा मां तथा बच्चे को उसके पति तथा ससुराल वालों ने दहेज के कारण हुए विवाद के बाद मार ड़ाला।

महिला के माता–पिता दस लाख रुपये तथा एक होंडा सिटी कार पति के माता–पिता को देने के लिए राजी हो गए थे तथा वे अभी इसको जुटाने की तैयारी कर ही रहे थे कि उसके पति के परिवार वालों ने ऐसा आरोप है कि, उनसे अपने लिए एक फ्लैट खरीदने की मांग की (अनीश नागपाल 2014)। दहेज से जुड़ा कानून (दहेज निरोधक अधिनियम 1961) को अब सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए में दहेज उत्पीड़न तथा धारा 304 बी में दहेज के कारण की जाने वाली हत्या के लिए दण्ड का प्रावधान है।

दहेज उत्पीड़न के बढ़ते मामलों से पता चलता है कि दहेज विरोधी कठोर कानूनों तथा दहेज के विरुद्ध लगातार चलाए गए अभियानों का बहुत कम असर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले जघन्य अपराधों पर पड़ा है। भारत में सभी जातियों, वर्गों, धर्मों तथा शिक्षित–अशिक्षित लोगों मे दहेज प्रथा लागू है। यद्यपि यह याद करना ज़रुरी है कि महिलाओं के विरुद्ध घर के भीतर हो रही हिंसा की सभी घटनाएं दहेज के कारण हो रही हैं, यह ज़रुरी नहीं। नारीवादी वकील मानते हैं कि महिलाओं का परिवार उनका किसी भी परिवार में विवाह करने के लिए जिम्मेदार हैं (चाहे वह दहेज देकर हो या बिना दहेज के)। इसलिए उसको (लड़की को) पढ़ाने तथा काम करने और अपने मायके (जहां उसने जन्म लिया) लौट आने के लिए कहने और उसका साथ देने के बजाय विवाह के सम्बन्धों पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण इस विश्वास में है कि सभी स्त्रियों के जीवन का लक्ष्य यह है कि स्त्री की मृत्यु की सही जगह उसके पति का घर है जहां वह दम्पत्ति सुख प्राप्त करते हुए मरे। इसके कारण स्त्री पति के यहां (ससुराल) में मौत, हिंसा तथा उत्पीड़न का सामना कर रहीं हैं।

11.6.3 घरेलू हिंसा

एन.एफ.एच.एस. 3 की घरेलू हिंसा के बारे में जो पड़ताल कर निष्कर्ष निकाले गए हैं वे इस प्रकार हैं। यह निष्कर्ष अटठ्इस राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी में 2005–06 के दौरान 125000 लोगों से साक्षात्कार के आधार पर निकाला गया है।

- **घटनाएं और श्रेणियां** : भारत की 40 प्रतिशत महिलाओं ने अपने वैवाहिक जीवन में कभी न कभी घरेलू हिंसा सहन की है। 37 प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जिनका कभी–विवाह हुआ था और उन्होंने कभी अपने पति की शारीरिक या यौन हिंसा सहन की है। 16 प्रतिशत महिलाओं ने अपने सहभागी की भावनात्मक हिंसा सहन की है। दस पत्नियों में से एक अर्थात् 10 प्रतिशत पत्नियों ने कम से कम एक बार यौन हिंसा जैसे वैवाहिक बलात्कार को भुगता है।

- **चोट पहुंचाना** : जिन महिलाओं का कभी विवाह हुआ और उन्होंने अपने पर हुई शारीरिक या यौन हिंसा की रिपोर्ट दर्ज कराई उनमें से 36 प्रतिशत मामले काटने, मुक्के मारने, या चोट पहुंचाने, 9 प्रतिशत मामले आंख में चोट पहुंचाने, मौच पहंचाने, हडड्ी खिसकने या जलने के दर्ज हुए हैं जबकि 7 प्रतिशत मामले गंभीर घाव, हडि्डयों के टूटने, दांत टूटने या अन्य तरह से गंभीर रुप से घायल होने के हैं और 2 प्रतिशत रिपोर्ट गंभीर रुप से जलने के हैं।

- **हिंसा तथा विवाह के वर्षों के बीच संबंध** : जिन महिलाओं ने घरेलू हिंसा के मामले दर्ज करवाए उनमें से अधिकांश पहली बार अपने पतियों से विवाह के शुरुआती दो वर्षों में ही शारीरिक रुप से प्रताड़ित हुई। आंकड़ों के अनुसार, विवाह होने के दो वर्ष के भीतर ही 62 प्रतिशत महिलाएं शारीरिक या यौन हिंसा का शिकार हुई जबकि 32 प्रतिशत महिलाओं ने विवाह होने के पांच वर्षों के भीतर ही हिंसा भुगती।

- **सहायता मांगना** : चार पीड़ित महिलाओं में से केवल एक महिला ही सहायता मांगने की कोशिश करती हैं तथा हिंसा को खत्म करने के लिए अपने पति के घर से बाहर जाकर इसे सुलझाने की कोशिश करती हैं। घरेलू हिंसा की शिकार केवल 2 प्रतिशत महिलाएं ही पुलिस के हस्तक्षेप की मांग करती हैं। यौन हिंसा की शिकार किन्तु शारीरिक हिंसा की शिकार नहीं हुई। अधिकांश महिलाओं ने इस हिंसा के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया। चार पीड़ित महिलाओं में से केवल एक महिला ही सहायता मांगने की कोशिश करती हैं तथा हिंसा को खत्म करने के लिए अपने पति के घर से बाहर जाकर इसे सुलझाने की कोशिश करती हैं। घरेलू हिंसा की शिकार केवल 2 प्रतिशत महिलाएं ही पुलिस के हस्तक्षेप की मांग करती हैं। यौन हिंसा की शिकार किन्तु शारीरिक हिंसा की शिकार नहीं हुई अधिकांश महिलाओं ने इस हिंसा के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया (85 प्रतिशत) तथा केवल 8 प्रतिशत महिलाओं ने ही कभी किसी से इसके बारे में सहायता मांगी। पीड़ित महिलाएं प्रायः अपने परिवार से ही सहायता की मांग करती हैं।

- **महिलाओं में धारणाएं** : 55 प्रतिशत महिलाएं मानती हैं कि बहुत से मामलों में पतियों का दुर्व्यवहार झेलना ही होता है। 41 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि उनके पति जब उनकी पिटाई सास–ससुर के अपमान के कारण की तो वह उचित ही था। 35 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि जब उन्होंने अपने घर की जिम्मेदारी नहीं संभाली या बच्चों की देखभाल नहीं कि तब पतियों की पिटाई ठीक थी।

- **पुरुषों में धारणाएं** : सर्वेक्षण में शामिल 75000 भारतीय पुरुषों में से लगभग 51 प्रतिशत पुरुषों का मानना है। कि अपनी पत्नियों को मारना या थोड़ी चोट पहुंचाना कुछ मामलों में जायज़ है खासतौर से तब, जब वे सास–ससुर का अपमान करें। बहुत कम पुरुष मानते हैं कि पत्नियों को तब भी पीटा जा सकता है जब वे खाना अच्छा न बनाएं या यौन संबंध से इनकार करें।

महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम (पी.डब्ल्यू.डी.वी.ए.) इस समस्या के समाधान के लिए 2005 में बनाया गया था। घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। महिलाओं तथा पुरुषों की यह धारणा बदलना कि कुछ परिस्थितियों में घरेलू हिंसा उचित होती है।

11.6.4 मानव तस्करी

भारत महिलाओं और लड़कियों की दूसरे देशों में तस्करी (अवैध व्यापार) करके भेजने का और बाहर से लाई गई स्त्रियों और लड़कियों का प्रमुख अडड़ा बन गया है। एक अनुमान के अनुसार, 20 से 65 मिलियन बंधुआ मजदूर की मानव तस्करी की समस्या कारक एक बड़ा वर्ग है (संयुक्त राज्य डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, 2013)। भारत मानव तस्करी से पीड़ित लोगों की शरणस्थली बनने वाला दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत में मानव तस्करी का तरीका बताता है कि मानव तस्करी का 90 प्रतिशत हिस्सा देश में हो रही मानव तस्करी का है जबकि केवल 10 प्रतिशत मानव तस्करी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से होती है तथा इसके सबसे ज्यादा शिकार सामाजिक आर्थिक स्तर के लोग होते हैं जिसमें निचली जातियों के लोग भी शामिल हैं।

मानव तस्करी का शिकार आसानी से होने वालों में वे महिलाएं और लड़कियां हैं जो अपने परिवार से दूर रहती हैं तथा जो ग्रामीण इलाकों में गरीबी में रहती हैं, झुग्गियों या सड़कों पर रहती हैं, शारीरिक एवं मानसिक रुप से विकलांग व्यक्ति और जो उत्पीड़न के कारण

कलंकित महसूस कर रही है तथा जो जातीय या साम्प्रदायिक हिंसा भोग रही हैं। हर वर्ष हजारों महिलाएं और लड़कियां खरीदी और बेची जाती हैं, उनको मजबूर किया जाता है या फंसाया जाता है, नशा देकर फंसाया जाता है, अपहरण किया जाता है, धोखेबाजी से मारपीट से या बलपूर्वक उनको शोषण की जिंदगी जीने या गुलामों की तरह रहने की स्थिति में डाल दिया जाता है जिसमें वे बहुत मोल भाव नहीं कर सकती। जो लड़कियां अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं उनको प्रायः विभिन्न प्रकार की हिंसा जैसे बलात्कार, प्रताड़ना, आज़ादी पर रोक, बंधुआ मजदूरी और जबरदस्ती विवाह का सामना करना पड़ता है।

यद्यपि भारतीय दण्ड संहिता में मानव तस्करी को लेकर प्रावधान दशकों से बने हुए हैं किन्तु 2013 में इनमें संशोधन किया गया और इन अपराधों की व्याख्या की गई तथा देश के भीतर तथा देश से बाहर उन लोगों के गठजोड़ के बारे में लिप्त हैं (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370 तथा 370 ए)। इसके अतिरिक्त अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम 1956 में मानव तस्करी की समस्या का निवारण ढूंढा गया है।

11.6.5 तेजाब (एसिड) फेंकना

भारत में किशोरावस्था की लड़कियों तथा युवा महिलाओं पर तेजाब फेंकने की घटनाएं लगातार मीडिया में आ रही हैं, पिछले कुछ वर्षों में ये घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। यद्यपि भारत में फरवरी 2013 के पहले तक इस प्रकार का कोई सरकारी आंकड़ा या व्यवस्थित रिकार्ड नहीं था कि इस प्रकार की कितनी घटनाएं हुई हैं जब तक कि इसे भारतीय दण्ड संहिता (धारा 326 ए तथा बी) के अन्तर्गत इसे विशेष अपराध नहीं माना गया। जनवरी 2011 में कार्नेल विश्वविद्यालय में हुए एक अध्ययन के अनुसार 1990 से 2010 तक मीडिया में एसिड अटैक की 153 घटनाएं सामने आई थीं (एवन ग्लोबल सेंटर, 2011) एसिड अटैक के विरुद्ध अभियान तथा संघर्ष (सी.एस.ए.ए्) जो कि एक सिविल सोसायटी नेटवर्क है उसने केवल कर्नाटक में 1999 से 2007 के बीच 56 ऐसे मामलों की सूची बनाई। एसिक सर्ववाइवर्स फांउण्डेशन इण्डिया (ए.एस.एफ.आई.) के अनुसार, भारत में एसिड अटैक (तेजाब फेंकने) के मामले प्रतिवर्ष 100 से 500 तक हो सकते हैं। 2013 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 ए तथा बी के अन्तर्गत एसिड अटैक को विशेष अपराध माना गया।

बॉक्स 11.1

तेजाब के जख्म से जिन्दा बची लक्ष्मी की केस स्टडी : 2009 में 15 वर्षीय लक्ष्मी जब अपने घर से काम करने के लिए एक किताब की दुकान पर जा रही थी जहां वह पार्ट टाइम सेल्स पर्सन का काम करती थी तब उसने सुना कोई नाम बलुाया जा रहा है और देखने के लिए वह मुड़ी कि कौन बुला रहा है। उसने देखा कि मोटर साइकिल पर दो लोग थे और वह उनकी तरफ भागी। पिछली सीट पर बैठी लड़की से वह परिचित थी और मोटर साइकिल चला रहा लड़का उसका जानने वाला था। वह उससे शादी करना चाहता था तथा उसने उसे मना कर दिया था। जैसे ही वह उनके पास पहुंची लड़की ने उस पर एसिड फेंक दिया। उसका चेहरा, उसकी छाती तथा हाथ इतने जल गए कि पहचानना मुश्किल था और उसे भयानक दर्द हो रहा था। कई पीड़ादायक ऑपरेशन के बाद लक्ष्मी का घाव थोड़ा भरा और अब वह एसिड अटैक के बाद जिन्दगी के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्तियों की सहायता के लिए एक अभियान की अगुवाई कर रही है। वह दिल्ली में रहती है तथा उसने अदालत मे जनहित याचिका दायर की कि ऐसा कानून बनाया जाए जो लड़कियों पर तेजाब फेंकने वालों

को ऐसा दण्ड दे जो दूसरों के लिए एक मिसाल बने तथा पीड़ित लड़कियों के पुनर्वास की एक अच्छी योजना बने।

इस याचिका के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि एसिड की बिक्री पर एक नियम बनाकर उसे नियंत्रित किया जाय और एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्तियों को न्यूनतम मुवावजा दिया जाए।

स्त्रोत : टाइम्स ऑफ इण्डिया, 7 जुलाई 2009

11.6.6 सम्मान के कारण अपराध

पिछले वर्षों में इस प्रकार के कई आक्रमण और हत्याएं इस धारणा के आधार पर हुईं कि पीड़ित व्यक्ति ने परिवार/समुदाय का अपमान किया है। सम्मान, रक्षा के उददेश्य से होने वाले अपराध अधिकांश युवा महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध किए जाते हैं किन्तु जो युवा दम्पत्ति अन्तर जातीय तथा अन्तर धार्मिक (दूसरी जाति एवं दूसरे धर्मों के लड़के/लड़कियों से विवाह) विवाह करते हैं उनको भी निशाना बनाया जाता हैं उनको इसलिए ऐसे लोग दण्डदेते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि उन लोगों ने सामाजिक सीमाओं का उल्लंघन किया है या सामाजिक मर्यादाओं को भंग किया है और यह अपराध अधिकांशतः उनके पुरुष रिश्तेदार करते हैं। इज्जत की अवधारणा तथा इसके लिए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा करने में इसका सामाजिक एवं विचारधारात्मक परिप्रेक्षण, खासतौर से अपनी मर्जी से शादी करने के मामले में की चर्चा, नारीवादी शोधकर्ताओं ने गंभीरता से की है।

इज्जत के लिए हत्या की प्रायः कम रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और उन्हें दुर्घटना या आत्महत्या बता दिया जाता है इसके कारण भारत में इस अपराध का स्तर कितना है, इसे समझना मुश्किल है। राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के अपराधों का कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है क्योंकि भारतीय आपराधिक कानून में इस प्रकार का कोई अपराध परिभाषित नहीं किया गया है। इस तरह के होने वाले अपराधों में ज्यादातर खेती करने वाल राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में होते हैं जहां जमींदारी तथा जाति दोनों जातिगत तथा लैंगिक भेदभाव को कायम रखने के लिए 'इज्ज़त की संस्कृति' बनाते हैं।

11.6.7 कन्या होने के कारण गर्भपात

भारत की जनसंख्या में स्त्रियों से अधिक पुरुष हैं। शिशु लिंगानुपात की कम दर 1991 से ही चली आ रही है (देखिए तालिका 2)। स्त्री–पुरुष का यह असमान लिंगानुपात भारत में कई कारणों से बना हुआ है जिसमें कन्या भ्रूण को गर्भपात के माध्यम से नष्ट करना, गर्भधारण के पहले ही लड़के होने का चुनाव तथा कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्तियां शामिल हैं। हमारा ध्यान लिंगानुपात के आंकड़ों पर सार्वजनिक हस्तक्षेप की ओर जाए तब हम देखेंगे कि ये तो बड़ी समस्या का लक्षण ही है वास्तव में लैंगिक असमानता, भारतीय समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव तथा महिलाओं और लड़कियों का निम्न सामाजिक स्तर बड़ी सामाजिक समस्या है।

इसमें अनैतिक रुप से तथा व्यापारिक दृष्टिकोण से बढ़ते मेडिकल तंत्र की भूमिका को भी कमतर नहीं आंका जा सकता। अल्ट्रा आउण्ड तथा स्कैनिंग सेंटर के साथ–साथ मोबाइल (सचल) सेक्स से लेकर क्लीनिक) (लिंग चयन क्लीनिक) की भरमार है जो लगभग हर गांव या पड़ोस तक बन गये हैं। मुख्यतः महिलाओं की हीन दशा के कारण मेडिकल व्यापार की मांग बढ़ गई है जो समाज को स्त्री विरोधी पूर्व ग्रहों को लागू करने के लिए आसानी से टेक्नॉलाजी उपलब्ध करा देता है।

कम लिंगानुपात के कारण लड़कियों और महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं, बाल विवाह बढ़ रहा है, गर्भपात तथा कम उम्र में विवाह के कारण मातृत्व मृत्यु दर बढ़ रही है तथा विवाह के लिए लड़कियों को दूसरी जगहों पर मानव तस्करी के द्वारा भेजा जा रहा है। संक्षेप में, कम लिंगानुपात स्त्रियों को हिंसा और शोषण के दुष्चक्र में धकेलने के लिए दबाव बना रहा है। प्री-कांसेप्शन तथा प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स (प्रोहिबिश ऑफ सेक्स सेलेक्शन) एक्ट 2003 ऐसा कानून है जो इस समस्या को सुलझाने का उपाय है।

तालिका 15.2 : भारत में स्त्री–पुरुष लिंगानुपात 1901–2011

जनगणना वर्ष	राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या
1901	972
1911	964
1921	955
1931	950
1941	945
1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1991	927
2001	933
2011	940

स्त्रोत : राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

11.7 सीमान्तीकरण (हाशिए पर धकेलना) तथा बढ़ती असुरक्षा

यद्यपि सभी स्त्रियां हिंसा से असुरक्षित हैं किन्तु अल्पसंख्यक समुदायों, हाशिए के समूहों तथा समाज के पिछड़े वर्गों की लड़कियां और महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं क्योंकि उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कम है और उनमें कानून तथा न्याय व्यवस्था के साथ सीधे जुड़कर अपने हितों की रक्षा करने की शक्ति कम है। इनमें शारीरिक/मानसिक रुप से विकलांग महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, धार्मिक रुप से अल्पसंख्यक वर्ग तथा समलैंगिक स्त्रियों, समलैंगिक पुरुषों, द्विलिंगी और किन्नर (एल.जी.बी.टी.), वृद्ध महिलाओं और युवतियों, तस्करी का शिकार हुई महिलाओं तथा महिला कैदी शामिल हैं। लिंग के भेदभाव को यदि जाति, वर्ग, धर्म, विकलांगता, यौनिकता, व्यवसाय तथा राजनीतिक विश्वास के साथ जोड़ दें तो यह कई स्तरों पर कमजोर कर देता है ओर अनेक प्रकार का अशक्तीकरण बन जाता है और महिलाओं की पीड़ा को सामने नहीं लाता तथा न्याय की उनकी आकांक्षा ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है।

11.8 सारांश

लिंगाधारित हिंसा की जड़ महिलाओं की अधीनता की स्थिति में है और इसका सम्बन्ध पितृसत्तात्मक व्यवस्था तथा पुरुषत्व की अवधारणा दोनों से है। जेंडर आधारित हिंसा (लिंगाधारित हिंसा) (जी.बी.वी.) पद का प्रयोग लिंग के आधार पर व्यक्तियों को या व्यक्तियों के एक समूह को शिकार बनाने वाली हिंसा तथा व्यक्तियों एवं समुदायों के विरुद्ध होने वाली अन्य प्रकार की हिंसा में अंतर करने के लिए किया जाता है। इसमें वे कृत्य शामिल हैं जो शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचाते हैं या पहुंचाएगें।

- प्री-कांसेप्शन एण्ड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेकनीक्स (प्रोहिविशन ऑफ सेक्स सेलेक्शन) एक्ट 2003 एक विशेष कानून है जो इस लिंग परीक्षण निरोधक कानून के रुप में लिंग परीक्षण की समस्या के समाधान के लिए है।

- यद्यपि हर स्त्री हिंसा की असुरक्षा से पीड़ित है किन्तु अल्प संख्यक समुदायों, हाशिए के समुदायों तथा समाज के पिछड़े वर्गों की महिलाएं और लड़कियां अपनी निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा कानून और न्याय व्यवस्था तक पहुंच कर न्याय पाने की अपनी कम शक्ति के कारण अधिक असुरक्षित हैं तो वे आसानी से शिकार बन सकती हैं।

11.9 शब्दावली

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) नई दिल्ली, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का एक अंग है। एन.सी.आर.बी. का उददे्श्य राष्ट्रीय पुलिस को सूचना प्रौद्यागिकी से सशक्त बनाकर उन्हें कानून को प्रभावी ढंग से लागू करवाने और जनता की सुविधाओं को सुधारना है। गृह मंत्रालय ने एन.सी.आर.बी. को एक नई जिम्मेदारी अपराध एवं अपराधी खोज नेटवर्क तथा व्यवस्था (सी.सी.टी.एन.एस.) परियोजना के साथ दी है। लगभग 15000 पुलिस थानों में से लगभग 12000 में 100 प्रतिशत एफ.आई.आर. ऑन लाइन दर्ज किए जा रहे हैं। प्रार्थना पत्र का साफ्टवेयर 12500 जगहों पर लगाए गए हैं।

11.10 अभ्यास के लिए प्रश्न

1) भारत में लिंगाधारित हिंसा के प्रमुख रुपों की चर्चा कीजिए।
2) भारतीय समाज में लिंगाधारित हिंसा के मुदद् का हल ढूंढना क्यों महत्वपूर्ण है, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए।

11.11 सन्दर्भ एवं अनशंसित पुस्तकें

- Flavia Agnes (1998), 'Violence Against Women: Review of Recent Enactments' in Swapna Mukhopadhyay, ed. *In the Name of Justice: Women and Law in Society*, pp. 81-116. New Delhi: Manohar Publishers and Distributors

- Saumya Uma (2010), edited by Vrinda Grover, *Addressing Domestic Violence Through the Law.* New Delhi: Multiple Action Research Group.

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

- Shankar Sen (2005), *Trafficking in Women and Children in India.* New Delhi: Orient Longman Pvt Ltd. Vol. I
- Smita Narula (1999) *Broken People: Caste Violence Against India's "Untouchables*". New York: Human Rights Watch.

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY